प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैंप रायला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(उपखण्ड अधिकारी-निरमा बिश्नोई)
(RAS)

प्रकरण:अपील/75/1/23

उनवान

1. गोपाललाल पिता मोहनलाल महाजन निवासी रायला –अपीलार्थी

बनाम

1. रमेशचन्द्र पिता गोपाललाल दरगड़ निवासी रायला
2. ग्राम पंचायत रायला पंचायत समिति बनेड़ा तहसील बनेड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाडा

-विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 27.04.2023

हस्तगत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम पंचायत रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा द्वारा निर्णित ग्राम रायला के नामान्तरण सं.5198 निर्णय दिनांक 05.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी ने विचारण के समक्ष अपील अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा -75 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रश्नगत ग्राम रायला की आराजी नम्बर 783 रकबा 1.2665 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड थी। अपीलार्थी गोपाललाल पिता मोहनलाल महाजन ने अपने पुत्र रमेशचन्द्र दरगड़ महाजन को आराजी नम्बर 783 रकबा 1.2665 हैक्टेयर में से रकबा 0.0155 हैक्टेयर भूमि बक्शीस में देकर उपपंजीयक रायला से दिनांक 19.12.2022 को पंजीयन कराया। उक्त पंजीकृत बक्शीसनामा से नामान्तरण किये जाने हेतु पटवारी हल्का को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का द्वारा बिना देखे आराजी नम्बर 793 के पूर्ण रकबे का नामान्तरण संख्या 5198 दिनांक 30.12.2022 को दर्ज कर दिया। भू.अ.निरीक्षक रायला द्वारा भी जांच में अनदेखा करते हुए मात्र जांच की अंकन सही है, की टिप्पणी अंकित कर दी । तत्पश्चात नामान्तरण दिनांक 05.01.2023 को ग्राम पंचायत रायला कोरम में प्रस्तुत किया । ग्राम पंचायत रायला ने भी बिना कोई जांच किये ग्राम रायला के आराजी नम्बर 783 पूर्ण रकबा 1.2665 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण रमेशचन्द्र पिता गोपाललाल दरगड़ जाति महाजन के पक्ष में स्वीकार कर दिया जबकि अपीलार्थी द्वारा आराजी नम्बर 783 रकबा 1.2665 में से रकबा 0.0155 हैक्टेयर भूमि को ही रमेशचन्द्र के पक्ष में बक़्शीस कर पंजीयन करवाया था फिर [illegible] कर्मचारियों ने गलती से संपूर्ण रकबे का नामान्तरण दर्ज कर दिया जोकि सरासर गलत होकर निरस्त [illegible] योग्य

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित [illegible] अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा साक्ष्य के रुप में बक्शीस नामा, नामान्तरण की प्रति एव जमाबंदी प्रस्तुत की । विपक्षी [illegible]चंद्र पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:44:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा

वकील साक्षी

गोपाल लाल दरगड़ जाति महाजन ने उपस्थित होकर लिखित में निवेदन किया कि उसके नाम ग्राम रायला के आराजी नम्बर 783 रकबा 1.2665 हैक्टेयर भूमि में से 0.0155 हैक्टेयर भूमि का ही बक्शीसनामा करवाया गया परन्तु नामान्तरण पूर्ण रकबे का दर्ज कर दिया गया है जिसे निरस्त कराया जावे।

पटवारी हल्का रायला, भू-अभिलेख निरीक्षक रायला व उपतहसीलदार रायला द्वारा भी लिखित में निवेदन किया कि ग्राम रायला के आराजी नम्बर 783 रकबा 1.2665 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.0155 हैक्टेयर भूमि को ही अपीलार्थी द्वारा बक्शीस किया परन्तु नामान्तरण संख्या 5198 निर्णय दिनांक 05.01.2023 पूर्ण रकबा 1.2665 रकबा का दर्ज हो गया जिसे निरस्त किया जाना उचित है। ग्राम पंचायत रायला की ओर से ग्राम सचिव रायला द्वारा भी उक्त नामान्तरण को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

मैंने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रायला के आराजी नम्बर 783 रकबा 1.2665 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.0155 हैक्टेयर भूमि को ही अपीलार्थी गोपाललाल पिता मोहनलाल महाजन द्वारा अपने पुत्र रमेशचन्द्र पिता गोपाललाल दरगड़ महाजन के नाम बक्शीस कर पंजीयन कराया। ग्राम पंचायत रायला ने कोरम में प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा नामान्तरण संख्या 5198 निर्णय दिनांक 05.01.2023 से आराजी नम्बर 783 का पूर्ण रकबा 1.2665 हैक्टेयर भूमि रमेशचन्द्र पिता गोपाललाल दरगड़ महाजन के नाम किये जाने का निर्णय किया जो कि सही नहीं है । नामान्तरण संख्या 783 निरस्त योग्य है अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आदेश दिये जाते है कि-

आदेश

ग्राम पंचायत रायला द्वारा स्वीकृत ग्राम रायला का नामान्तरण संख्या 5198 निर्णय दिनांक 05.01.2023 निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायला का आराजी नम्बर 783 रकबा 1.2665 हैक्टेयर भूमि पुनः गोपालाल पिता मोहनलाल महाजन निवासी रायला के नाम दर्ज किया जावे। निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैंप रायला में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो नम्बर से कम की जावे।

(निरमा विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:14:07 IST
Reason: SelfAttested